



Neutral Citation No.-2026:AHC:6719

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-6224 वर्ष 2024

शिशुपाल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: विश्वेंद्र सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, गगन प्रताप सिंह

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री विश्वेंद्र सिंह, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा अपराध संख्या-386 वर्ष 2023 में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-न्यू आगरा, ज़िला: आगरा के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। मृतक एक मॉल में काम करता था और अवैध संबंध में आया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। उक्त विवाह में आवेदक के तीन बच्चे हैं और दो बच्चे नाना के साथ रह रहे हैं और एक दादा के साथ रह रहा है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि परीक्षण घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में परीक्षण के समापन की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 29.8.2023 से जेल में बंद है, इस प्रकार कारावास की अवधि 02 वर्ष



05 महीने से अधिक है। आवेदक परीक्षण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मृतक की मृत्यु आवेदक के घर के परिसर के भीतर हो गई थी और मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम श्रॉटलिंग के परिणामस्वरूप दम घुटना था, इस तरह, वह ज़मानत का हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 8.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, पांच गवाहों से पूछताछ की गई है, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दायर धारा 311 द०प्र०स० के तहत दायर आवेदन पर, अ०सा०-1 और अ०सा०-4 को जिरह के लिए वापस बुला लिया गया है। इस प्रकार, देरी, यदि कोई हो, को अभियोजन पक्ष के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि यह आवेदक है जो देरी के लिए जिम्मेदार है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की मृत्यु आवेदक के घर के परिसर के भीतर हो गई थी और मृत्यु का कारण पूर्व-मॉर्टम श्रॉटलिंग के परिणामस्वरूप दम घुटना है, इस तथ्य के साथ कि पांच गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है।

9. ज़मानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 12, 2026

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!